दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.11/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.4.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी करणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति– रावणा राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.3.2023 को फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी करणसिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand का नमूना संख्या S-2053 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./582/Act/2023/626 दिनांक 27.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 16.4.2024 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 16.4.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का आम जन के लिये उपयोग व विक्रय नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 11.3.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड़, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, बरलुट में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत प्रतिवादी करणसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह, जाति– रावणा राजपूत उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेन्ट के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand में मिलावट का शक होने पर [illegible] विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य ....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:33 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.11/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand के 35 पैक्ड पाउचों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand के 4 पैक्ड पाउचों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand के नमूना संख्या S-2053 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./582/Act/2023/626 दिनांक 27.3.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) व आमनक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकर सिंह ने खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी करणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति– रावणा राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही ने मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी करण सिंह स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Pasteurised Full Cream Milk (Miss Milky Gold brand के विक्रय हेतु प्रतिवादी करणसिंह पुत्र श्री शंकरसिंह, जाति– रावणा राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शंकर विलास रेस्टोरेन्ट, बस स्टेण्ड, बरलुट, तहसील व जिला–सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी करणसिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.5.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:33 IST
Reason: SelfAttested